बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री विक्रम कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा अपने सेवा काल में पद का भ्रष्ट दूरूपयोग करते हुए आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित किया गया है, जिसके कारण निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), पटना द्वारा श्री झा के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–086/2016 दिनांक–05.09.2016, धारा 13(2)–सह–पठित धारा 13(1)(ई) भ्र.नि.अधि. 1998 दर्ज की गई है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1)(i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है।

अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि श्री विक्रम कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र (प्रपत्र 'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री शशिशेखर सिन्हा, सहायक निबंधक (उपभोक्ता), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को नियुक्त किया जाता है।

3. श्री झा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश : – आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप पत्र प्रपत्र 'क' की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी, श्री शशिशेखर सिन्हा, सहायक निबंधक (उपभोक्ता), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– उपस्थापन पदाधिकारी एवं श्री विक्रम कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि.को.(रा.)निग.–104/2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक :...................................

08 / नि॰को॰(रा॰)निग॰–104 / 2016

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ उपस्थापन पदाधिकारी श्री शशिशेखर सिन्हा, सहायक निबंधक (उपभोक्ता), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– उपस्थापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :...................................

08 / नि॰को॰(रा॰)निग॰–104 / 2016

निबंधित

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ आरोपी पदाधिकारी श्री विक्रम कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :.../ पटना, दिनांक :...................................

08 / नि॰को॰(रा॰)निग॰–104 / 2016

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–2127 / अप॰शा॰ दिनांक–15॰09॰2016 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :.......4282......../ पटना, दिनांक :07.12.2016

08 / नि॰को॰(रा॰)निग॰–104 / 2016

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आई॰टी॰ मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

02.12.16

सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

जाँच–पत्र

1.	क्या आरोप–पत्र बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2011 के अनुसार और उसमें विहित किये गये प्रपत्र में एवं सही ढ़ंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ?	– हाँ
2.	क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारी को आरोप–पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ?	– हाँ
3.	क्या उक्त नियमावली के नियम–17(4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ?	– नहीं
4.	क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है और समीक्षोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया है ?	– उपरोक्त के अनुसार।
5.	क्या उक्त नियमावली के नियम 17(6) के अनुसार वांछित कागजात मूल रूप में संलग्न किये गये हैं ?	– हाँ
6.	क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ आदेश/अधिसूचना/संकल्प में किया गया है ?	– हाँ
7.	क्या आदेश/अधिसूचना/संकल्प पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे संतुष्ट हैं ?	– हाँ

02.12.16

02.12.16

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

आरोप–पत्र

(प्रपत्र–'क')

1. पदाधिकारी का नाम :– श्री विक्रम कुमार झा
2. पदनाम :– जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा
3. वेतनमान्/ग्रेड पे :– 15,600–39,100/– + ग्रेड पे–6600/–
4. समूह :– "क"
5. जन्म तिथि :– 28.04.1967
6. सेवा निवृत्ति की तिथि :– 30.04.2027
7. आरोप :–

क्र॰ सं॰	आरोप का संक्षिप्त विवरण	आरोप का विवरण	साक्ष्य
1	2	3	4
1.	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना।	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2127/अप॰शा॰ दिनांक– 15.09.16 द्वारा सूचित किया गया है कि आपके विरूद्ध 63,16,230/– रू॰ (तिरसठ लाख सोलह हजार दो सौ तीस रूपये) के प्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–086/2016, दिनांक–05.09.2016, धारा 13(2) सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र॰नि॰अधि॰ 1988 दर्ज किया गया है। माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी से प्राप्त तलाशी वारंट के आलोक में निगरानी ब्यूरो के 04 टीमों द्वारा आपके पूर्णियाँ, पटना एवं नवादा स्थित आवासों/कार्यालय की तलाशी ली गई। जिसमें पूर्णियाँ स्थित आपके आवास से 1,25,25,800/– रू॰ नगद राशि, 859 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो 894 ग्राम चाँदी के जेवरात एवं आपके और परिजनों के नाम के कई भूखण्ड के दस्तावेज, विभिन्न बैंकों के 11 पासबुक बरामद किया गया। नवादा से दो बैंक के 02 पासबुक बरामद किये गये। पुलिस निरीक्षक–सह–जाँचकर्त्ता निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख है कि आपकी नियुक्ति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर दिनांक–30.11.1995 को हुई थी। वर्त्तमान में जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा के पद पर कार्यरत हैं। आपने अपने सेवा काल के दौरान सरकारी पद पर कार्य करते हुए अपने ज्ञात वैध स्त्रोतों से होने वाली आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नाजायज तरीके से अपने एवं अपने पत्नी के नाम पर करोड़ों की चल/अचल सम्पत्ति अर्जित किये हैं। आपके सरकारी सेवा में आने की तिथि–30.11.1995 से 31.03.2016 की अवधि को चेक अवधि मानकर आपके ज्ञात वैध श्रोत से होने वाली आय एवं अर्जित सम्पत्ति/व्यय की गणना की	पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–2127 अप॰शा॰ दिनांक–15.09.16

		गयी। जिसका अनुमानित आय लगभग–85,45,000/– रू०, अनुमानित व्यय लगभग–24,33,000/– रू० एवं संभावित बचत (85,45,000–24,33,000)=61,12,000/– रू० है। आपके द्वारा उपरोक्त चेक अवधि में अपने एवं अपनी पत्नी के नाम से अर्जित की गई कुल अचल सम्पत्ति 1,10,66,230/– एवं चल सम्पत्ति–13,62,000/– कुल (1,10,66,230+13,62,000) = 1,24,28,230/– रू० होता है। इस प्रकार उक्त चेक अवधि में वैध श्रोत से अर्जित किये गये आय से अधिक सम्पत्ति लगभग (1,24,28,230–61,12,000)=63,16,230/– रू० अधिक पाई गई है। इस प्रकार आपके द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने पद का भ्रष्ट दुरूपयोग करते हुए अपने ज्ञात वैध श्रोत से अधिक सम्पत्ति अर्जित किये गये हैं। जिसके कारण आपके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–086/2016, दिनांक–05.09.2016, धारा 13(2) सह–पठित धारा–13(1)(ई) भ्र०नि०अधि० 1988 दर्ज कर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। आपका यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1)(i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं।	

02.12.16

02.12.16

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।